

7-318

~~पत्रावली पेश हुई/वकील ~~बाकी/प्राथी/~~  
अपीलाधी/रिजो/डे/प्राधी/अप्राधी/उभयपक्ष  
उपस्थित हैं/अनुपस्थित हैं/श्रीमान् बीरसोन  
अधिकारी प्रमाण पर ~~पत्रावली पर हैं/अन्य  
कार्यों में व्यस्त हैं/अन्य कार्यों में व्यस्त हो गया है।~~  
अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 28-318  
को पेश हो।~~

रीडर

28-318 पत्रावली पेश हुई/अभिभाषक राध के प्राथित  
कार्य का बहिष्कार किया है। श्रीमान् ~~बीरसोन  
अधिकारी प्रमाण पर हैं/अन्य कार्यों में व्यस्त  
हैं/अन्य कार्यों में व्यस्त हो गया है।~~ अतः पत्रावली  
समावेशानुसार दि० 17-418 को पेश हो।

रीडर

17-418 पत्रावली पेश हुई/वकील ~~बाकी/प्राथी/~~  
~~अपीलाधी/रिजो/डे/प्राधी/अप्राधी/उभयपक्ष  
उपस्थित हैं/अनुपस्थित हैं/श्रीमान् बीरसोन  
अधिकारी प्रमाण पर हैं/अन्य कार्यों में व्यस्त  
हैं/अन्य कार्यों में व्यस्त हो गया है।~~  
अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 20-418  
को पेश हो।

रीडर

30-418 पत्रावली पेश हुई/वकील ~~बाकी/प्राथी/~~  
~~अपीलाधी/रिजो/डे/प्राधी/अप्राधी/उभयपक्ष  
उपस्थित हैं/अनुपस्थित हैं/श्रीमान् बीरसोन  
अधिकारी प्रमाण पर हैं/अन्य कार्यों में व्यस्त  
हैं/अन्य कार्यों में व्यस्त हो गया है।~~  
अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 28-518  
को पेश हो।

रीडर

2-518 पत्रावली आज पेशी में ली गई। पत्रावली दि०  
9-518 को कैम्प कुनकटा कलां पर राजस्व  
लोक अदालत में पेश हो। प्रत्यकारों को सूचित  
किया जावे।

उप जिला कलेक्टर  
गंगापूर सिटी

9-518 पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत कैम्प  
कुनकटा कलां पर पेश हुई। प्राथी सुल्तानासिंह  
उपस्थित है। अप्राथीगण उपस्थित नहीं है।  
प्राथी ने राजीनामा इस आशय का पेश किया  
है कि लोक अदालत की भावना से प्राथी ने

श्री सुल्तानासिंह

लोक अ  
गंगापूर

सुल्तानसिंह बनाम दयालदत्त वर्मा

नम्बर व अहकाम हुकम की में जा	तारीख हुकम	प्रांश्य न.उ. हुकम या कार्यवाही मय इनोशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए	
		<p>अपना दवा वापिस ले लिया है, उक्त न.उ. प्रांश्य भी प्राधी को वापिस लौटा दिया जावे। यादी का उक्त दवा पुनः नम्बर पर आता है तो उक्त प्रांश्य भी पुनः नम्बर पर ले लिया जावे।</p> <p>प्राधी द्वारा प्रस्तुत राजीनामा स्वीकार किया जाता है तथा न.उ. प्रांश्य विद्दाल में स्वारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलेशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं वाद तकमील मूल वाद के साथ संलग्न रहे।</p>		
		<p>(रावि कुमार शर्मा) एडवोकेट सदस्य लोक अदालत गंगापुर सिटी</p>	<p>(सतीश कुमार शर्मा) एडवोकेट सदस्य लोक अदालत गंगापुर सिटी</p>	<p>(बाबूलाल जाट) अध्यक्ष लोक अदालत गंगापुर सिटी एवं उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी</p>

पत्रावली दि०  
राजस्व  
को सूचित

लोक अदालत  
गंगापुर सिटी

गंगापुर सिटी

गंगापुर सिटी  
एवं  
उप जिला कलेक्टर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर, (पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प कोर्ट का स्थान :- गंगपुर सिटी

राजीनामा प्रपत्र

दिनांक 9/5/18

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामी में जारी हुए

पीठासीन अधिकारी महोदय, कैम्प - गंगपुर सिटी  
सुल्तानसिंह

बनाम इमरान अली  
अन्तर्गत धारा 212 R.T.A Act

प्रकरण में प्रार्थी/वादी श्री सुल्तानसिंह  
है कि उक्त उनवान का प्रकरण आपके न्यायालय में लम्बित है। उक्त प्रकरण में हम पक्षकारों के बीच सुलह हो गई है। हमारे बीच कोई विवाद नहीं रहा है। हम पक्षकारों के बीच सम्बन्ध अच्छे हो चुके हैं।  
इस अन्तिम राजीनामा निम्नानुसार तय हुआ है :-

न्यायालय की ओर से वादी के उपरोक्त उनवान की उपाय  
सुल्तानसिंह को उक्त 7-9 प्र. 47 की समस्त कोशिश  
करा जाएगी यदि वादी का उक्त उनवान उक्त हुक्म नम्बर 10  
की उक्त प्र. 47 की पुनः नम्बर 10 के लिए जारी

मैं निवेदन है, कि हमारा राजीनामा तस्दीक कर मुकदमें का निस्तारण करने की कृपा करें।

- प्रतिवादी पक्ष 1. ....
- 2. ....
- 3. ....
- 4. ....

सुल्तानसिंह

पहचानकर्ता के हस्ताक्षर .....  
(प्रतिवादी पक्ष) नाम .....

सुल्तानसिंह

एवं अप्रार्थी/ प्रतिवादी X  
इस सन्निहित रूप से राजीनामा पेश किया गया है। राजीनामों की इबारत को सुन व समझ कर सही होना  
इस राजीनामा हस्वखाहिश पक्षकार तस्दीक किया जाता है। राजीनामा शामिल मिसल रहे।

सुल्तानसिंह  
(ह0 सदस्य)  
लोक अदालत  
गंगपुर सिटी

सतीश कुमार शर्मा  
(ह0 सदस्य)  
लोक अदालत  
गंगपुर सिटी

विष्णु लाल जाधव  
(ह0 सदस्य)  
पीठासीन अधिकारी  
लोक अदालत  
गंगपुर सिटी  
उप जिला कलेक्टर  
गंगपुर सिटी

कैम्प